उच्च शिक्षा हेतु शासनादेश

संख्या 24/10/6--नियुक्ति (ख)

प्रेषक

श्री विपिन बिहारी लाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 21 अगस्त, 1967 ।

विषय.--सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय के घंटों के अलावा शैक्षिक कक्षाओं (academic classes) और लेक्चरों में शामिल होने की अनुमति देना ।

महोदय,

नियुक्ति (ख) विभाग

मुझे शासनादेश संख्या 24/10/66-नियुक्ति (ख), दिनांक ... सितम्बर, 1966 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें शैक्षिक कक्षाओं और लेक्चरों में शामिल होने और प्राइवेट तौर पर शैक्षिक परीक्षाओं में बैठने की सरकारी कर्मचारियों को दी गई रियायत वापस ले ली गई थी । इस मामले पर सरकारी कर्मचारियों तथा उनकी सेवा संस्थाओं (service Association) से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर फिर से विचार किया गया है और इसके फलस्वरूप यह फैसला किया गया है कि उन्हें यह सुविधा फिर से दे दी जाय । लेकिन इस बात को साफ तौर पर समझ लेना आवश्यक है कि कक्षाओं आदि में शामिल होने की अनुमति अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती और वह तभी दिया जायगा जब उससे सार्वजनिक हित को जिसका सबसे अधिक ख्याल किया जायगा, कोई नुकसान न पहुंचे । यह अनुमति प्राप्त करने के लिये दी जाने वाली विभिन्न दरख्वास्तों पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, विचार किया जाना चाहिये :--

(1) अराजपत्रित (नान गजटेड) कर्मचारियों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा और राजपत्रित (गजटेड) अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा यह अनुमति प्रदान की जायगी । अनुमति देने से पहले स्वीकृत देने वाले अधिकारी को इस बारे में अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिये कि इससे सार्वजनिक कार्य को दक्षता के साथ निपटाने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

(2) शैक्षिक कक्षायें कार्यालय के घंटों के अलावा ही जाती हों । कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जैसी भी सूरत हो, चाहिये कि वह सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं से उन घंटों के बारे में जिनमें कक्षायें ली जायेंगी, निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कर लें और केवल उन्हीं हालतों में अनुमति दी जानी चाहिये जिनमें ये घंटे साफ तौर पर नियत कार्यालय घंटों के अलावा हों ।

(3) जिन सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाये उनकी संख्या किसी शैक्षिक वर्ष में, किसी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के दस प्रतिशत से ज्यादा न हो ।

2--ऐसी अनुमति देने से किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी, तैनाती और तबादले के मामले में किसी तरह की तरजीह पाने का अधिकार नहीं होगा । परीक्षा की तैयारी के वास्ते सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता को देखते हुये आमतौर पर समुचित छुट्टी दी जानी चाहिये । इन आदेशों के अधीन दी गई अनुमति बिना नोटिस दिये वापस ली जा सकती है अगर किसी भी समय यह पता चले कि सरकारी कर्मचारी अपने सामान्य कार्य की उपेक्षा करता है या यह कि सार्वजनिक कार्य में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है । किसी पाठ्यक्रम विशेष में सम्मिलित होने के वास्ते हर साल नये सिरे से अनुमति लेनी जरूरी होगी ।

3--सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उपर्युक्त पैरा 1 तथा 2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये सरकारी कर्मचारियों को प्राविधिक (टेक्नीकल) विषयों में विशेषीकृत उच्चतर अध्ययन (specialised higher studies) के लिये भी अनुमति दी जा सकती है ।

भवदीय,

विपिन बिहारी लाल,
मुख्य सचिव ।

संख्या 24/10/66(1)--नियुक्ति (ख)

1--प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचना तथा पथ प्रदर्शन के लिये प्रेषित ।

2--यह अनुमति सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित विभिन्न शाखाओं के सचिवों द्वारा दी जायेगी ।

आज्ञा से,

विपिन बिहारी लाल,
मुख्य सचिव ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 55 सा० (नियुक्ति) 21-2-62 (3650) 1962-8,000 (हि०) ।

M-62(MISC)2 ...

(4) (1) (2)

आदेश

उच्च शिक्षा हेतु प्रार्थना-पत्र प्राय: आते रहते हैं जिनका निष्पादन (डिस्पोजल) अभी तक पुलिस रेडियो मुख्यालय कार्यालय से होता था । कार्य के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से इस सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है ।

(1) (1) सहायक आपरेटरों, (2) वर्कशाप हेल्परस, (3) कान्सटेबल्स तथा (4) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों का निष्पादन सम्बन्धित सहायक रेडियो अधिकारी करेंगे ।

(2) राज्य रेडियो अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित मुख्य-परिचालकों के प्रार्थना-पत्रों का निष्पादन (डिस्पोजल) अपने स्तर पर करेंगे ।

(3) पुलिस रेडियो मुख्यालय की शाखाओं से मुख्य परिचालकों के प्रार्थनापत्रों का निष्पादन निदेशक (रेडियो संचार) के कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।

(4) रेडियो केन्द्र अधिकारी तथा उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के प्रार्थना-पत्रों का निष्पादन निदेशक (रेडियो संचार) करेंगे । लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों का निष्पादन भी निदेशक (रेडियो संचार) करेंगे ।

प्रार्थना-पत्रों के निष्पादन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

(क) प्रत्येक वर्ग में स्थानीय रूप से 10 प्रतिशत से अधिक को अनुमति न दी जावे ।

(5) अनुमति देते समय ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जावे जो कि उच्चतर पद के लिये निर्धारित क्वालीफिकेशन की परीक्षा हेतु अनुमति चाहते हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हाईस्कूल की परीक्षा, सहा०परि०/मुख्य परि० व अन्य को साइंस की उच्चतर परीक्षा अथवा ग्रेड-आई०ई०टी०ई० व समकक्ष परीक्षा आदि ।

J
open a new file of ...

(6) अनुमति के पश्चात यदि कोई कर्मचारी परीक्षा में नहीं बैठता, अथवा यदि बैठता है परन्तु पास नहीं कर पाता, ऐसे कर्मचारी को दुबारा 2 वर्ष तक अनुमति न दी जावे ।

(7) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को प्राप्ति के दिनांक के अनुसार पंजीकृत किया जावे तथा अनुमति रजिस्ट्रेशन संख्या के अनुसार, उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना करते हुये यथा सम्भव क्रम से दी जावे ।

(क) सहा० परि० को इंटर तक तथा मुख्य परि० को ग्रेजुएट स्तर

--2/

तक की परीक्षा की अनुमति दी जावे । इस अपवाद के साथ कि यदि किसी ने पूर्व में प्रथम भाग पास कर रखा है तो उसे द्वितीय भाग में बैठने की अनुमति, बिना रैंक का ध्यान रखे, दी जा सकती है ।

।8। रेडियो केन्द्र अधिकारी एवं उच्चतर अधिकारियों को आवश्यकतानुसार पोस्ट-ग्रेजुएट की अनुमति दी जा सकती है। 11A

।9। प्रार्थना पत्र वर्ष भर प्राप्त होते रहते हैं । इस स्थिति में सुधार हेतु अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र । जून से 31 अगस्त तक मांगे जायें तथा 30 सितम्बर तक सभी अनुमति निर्गत हो जायें । उसके पश्चात् ।अर्थात् । अक्टूबर से 31 मई तक। कोई भी प्रार्थना पत्र रजिस्टर न किया जाये।

।10। उस कर्मचारी/अधिकारी को अनुमति देने में वरीयता दी जावे जिसने प्रथम भाग पास कर लिया हो तथा दूसरे भाग के लिये अनुमति चाह रहा हो ।

।11। अनुमति निर्गत करने वाले अधिकारी अनुमति पत्र की एक प्रतिलिपि रिकार्ड हेतु निदेशक ।रेडियो संचार। के कार्यालय को भेजेंगे ।

।राम गोपाल गुप्ता।
निदेशक ।रेडियो संचार।
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

संख्या: एस0टी0-18/83
दिनांक: दिसम्बर 31, 1983

=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- राज्य रेडियो अधिकारी ।पूर्वी क्षेत्र।लखनऊ।
2- राज्य रेडियो अधिकारी ।पश्चिमी क्षेत्र। मुरादाबाद ।
3- अपर राज्य रेडियो अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त सहायक रेडियो अधिकारी, पुलिस रेडियो शाखा, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रस्तुतकार।, निदेशक ।रेडियो संचार। उ0प्र0 लखनऊ।
6- रेडियो निरीक्षक ....

कि/